



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07092026-276047
CG-DL-E-07092026-276047

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4699]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 3, 2026/भाद्र 12, 1948

No. 4699]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 3, 2026/BHADRA 12, 1948

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2026

का.आ. 4886(अ).— केन्द्र सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इस में इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 5736(अ) तारीख 10 दिसम्बर, 2025, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 11 दिसम्बर, 2025, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में ओडिशा राज्य में पारादीप (ओडिशा) से नुमालीगढ़ (असम) तक कच्चा तेल परिवहन के लिए नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के द्वारा पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 30 जनवरी 2026, तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा(1) के अधीन केन्द्र सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्र सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाईपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्र सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाईपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्र सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में निहित होगा ।

पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाईपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्र सरकार, सक्षम प्राधिकारी और राज्य सरकार या कारपोरेशन के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी ।

अनुसूची

राज्य: बिहार

क्रम संख्या	जिला:	अंचल	मौजा का नाम एवं थाना संख्या	खेसरा संख्या	क्षेत्रफल		
					हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कटिहार	बरारी	बिष्णुपुर-186	517	00	01	30
2	कटिहार	बरारी	सुखासन-168	884	00	02	20
3	पूर्णियां	जलालगढ़	एकम्बा-194	1780	00	01	60
				1777	00	07	92
				1778	00	00	20
				1774	00	14	06
				1773	00	07	36
				1606	00	00	84
4	पूर्णियां	जलालगढ़	हफनिया-196	149	00	00	48
5	पूर्णियां	बैसा	मिर्जापुर-42	1570	00	00	25
6	किशनगंज	ठाकुरगंज	बरचौदी-185	237	00	04	80
				157	00	06	44
				156	00	07	20
				155	00	02	60
				155/1053	00	07	21

[फा. सं. आर-11025(14)/3/2021-ओआर-1/ई-38524]

हरित कुमार शाक्या, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2026

S.O. 4886(E).— Whereas by the notification of the Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 5736(E) dated the 10th December, 2025, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India dated the 11th December 2026, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in the State of Odisha for the transportation of Crude Oil from Paradip in Odisha to Numaligarh in Assam by Numaligarh Refinery Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 30.01.2026;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in

the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Numaligarh Refinery Limited, free from all encumbrances.

Numaligarh Refinery Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit or legal proceeding shall lie against the Central Government, the competent authority or State Government or Corporation on any matter relating to the pipeline.

Schedule

State: Bihar

Sl. No.	District	Anchal	Mouza Name & Thana No.	Plot No.	Area		
					Hec	Are	Sq. Mtr
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Katihar	Barari	Bishnupur-186	517	00	01	30
2	Katihar	Barari	Sukhasan-168	884	00	02	20
3	Purnia	Jalalgarh	Ekamba-194	1780	00	01	60
				1777	00	07	92
				1778	00	00	20
				1774	00	14	06
				1773	00	07	36
				1606	00	00	84
4	Purnia	Jalalgarh	Hafaniya-196	149	00	00	48

5	Purnia	Baisa	Mirzapur-42	1570	00	00	25
6	Kishanganj	Thakurganj	Barchaundi-185	237	00	04	80
				157	00	06	44
				156	00	07	20
				155	00	02	60
				155/1053	00	07	21

[F. No. R-11025(14)/3/2021-OR-I/E-38524]

HARIT KUMAR SHAKYA, Under Secy.